न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—96 / 2023 दायर दिनांक 03.07.2023

जीसीएमएस आई0डी0:—2023 / 221

नरेन्द्र कुमार उम्र 26 साल पुत्र धूजी जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

1. धूजी उम्र 65 साल पुत्र अंगद जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान
2. जीवन उम्र 40 साल पुत्र धूजी जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा हाल निवासी रेल्वे कॉलोनी भरतपुर जक्शन भरतपुर।
3. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली।
4. उपंपजीयक तहसील सूरौठ जिला करौली।

——गैरसायलान—04

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री रामखिलाडी सैनी वकील सायलान

2. एकपक्षीय कार्यवाही गैरसायलान

निर्णय दिनांकः— 2-5-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि सायल व गेरसायलान 1 व 2 तथा दावे के प्रतिवादी 3 ता 5 के स्वामित्व, स्वत्व व खातेदारी की पुश्तैनी पैतृक भूमि आराजी खसरा न0 2188 रकबा 41 ऐयर, 2298 / 1787 रकबा 06 ऐयर, 2304 / 1191 रकबा 09 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 0.56 हैक्टेयर बांके ग्राम हुक्नीखेडा, तहसील सूरौठ में स्थित है. उक्त भूमि के सम्पूर्ण भाग को सायल व गैरसायल नं० 1, व 2 व दावे के प्रतिवादी 3 ता 5 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, तथा भूमि खसरा नम्बर 1767 रकवा 0.06 है० बांके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरोठ में स्थित है, उक्त आराजी में सायल एवं गैरसायल नं० 1 व 2 व दावे के प्रतिवादी 3 ता 5 वहिस्सा 1 / 6 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 1185 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा, 805 रकवा 15 विस्वा, 881 रकवा, 837 रकवा 4 विस्वा बांके ग्राम हुक्मीखेडा, तहसील हिण्डौन में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित आराजीयात ... प्रार्थनापत्र में दर्ज भूमि सायल व गैरसायल नं0 1, व 2 व दावे के प्रतिवादी 3 ता 7 की ... पुश्तैनी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है, सायल एवं गैरसायल नं0 1, व 2 व दावे के प्रतिवादी 3 ता 7 एक ही परिवार के मृतक अंगद पुत्र रूग्गा की संतान है, जिनका पारिवारिक सजरा निम्न है:—

उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थनापत्र में दर्ज भूमि सायल एवं गैरसायल नं० 1. व 2 व दावे के प्रतिवादी 3 ता 7 को अपने पूर्वज मृतक अंगद पुत्र रूग्गा से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि सायल व गैरसायल नं० 1. व 2 व दावे के प्रतिवादी 3 ता 7 की पैतृक पुश्तैनी भूमि है, जिस पर सायल व गैरसायलान का जन्म से ही हक व हिस्सा है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है।

गैरसायल नं० 1. सायल एवं गैरसायल 2 तथा दावे के प्रतिवादी 3 ता 5 के पिताजी है उक्त आराजीयात गैरसायल नं० 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, परन्तु उक्त आराजीयात पैतृक व पुश्तैनी आराजीयात है, जिस पर सायल एवं गैरसायल 2 तथा दावे के प्रतिवादी 3 ता 5 का जन्म से ही अधिकार व हक है, परन्तु गैरसायल नं० 1 सायल एवं गैरसायल 2 तथा दावे के प्रतिवादी 3 ता 5 के कब्जेकाश्त व हिस्सेदारी की उक्त पैतृक व पुश्तैनी भूमि को गैरसायल नं0 2 के बहकावे में आकर रहन वय करने पर आमादा है, गैरसायल नं० 1 के दो पत्नियां थी दोनो फौत हो चुकी है, एक पत्नि का सायल है तथा दूसरी पत्नि का गैरसायल नं0 2 जीवन है, गैरसायल नं० 1 सायल को अपना पुत्र नहीं मानता है, और गैरसायल नं0 2 की सह पर उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को गैरसायल नं0 2 के हक में या गैरसायल नं0 2 के द्वारा बेचे गये व्यक्ति के हक में विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराकर सायल को अपने हिस्से व कब्जा से वंचित करने पर आमादा है।

बांका दिनांक 15.05.2023 समय करीब 9 बजे का है कि सायल ने गैरसायल नं० 1 से अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम कराने एवं दीगर व्यक्तियों को रहन वय नहीं करने एवं विधिवत बटवारा कराने के लिये कहा तो इस बात से गैरसायल 1 व 2 एकदम नाराज हो गये और सायल के साथ झगडा करने पर आमादा हो गये, हाय हल्ला सुनकर पडौसीयान आ गये जिन्होने गैरसायल नं० 1 को काफी समझाया कि तुम दोनो बेटो को अपने—अपने हिस्से की भूमि उनके नाम करा दो परन्तु गैरसायल नं0 1 ने किसी की भी नहीं मानी, बल्कि ऐलानियां धमकी दीनी कि मैंने उक्त आराजीयात को तेरे हिस्से सहित किसी दीगर व्यक्ति को बेचकर के ही रहूँगा क्योंकि खातेदारी मेरे नाम है, मैं तुझे उक्त आराजीयात से हरहालत में वंचित करके रहूँगा, सम्पूर्ण आराजीयात को गैरसायल नं0 2 के नाम कराऊँगा या

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर दूंगा। और ना ही उक्त आराजीयात का हम विधिवत बटवारा करायेंगें, आईन्दा दोबारा मुझसे इस भूमि के बारे में बात की तो तुझको जान से खत्म कर दूंगा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड सकेगा। और हम हरहालत में तुझको तेरे पैतृक हिस्से से वंचित करके ही रहेंगें। हमने उक्त भूमि को बेचान करने के लिये दीगर व्यक्तियों से बात कर ली है और उनको हरहाल में तेरे पैतृक हिस्से सहित उक्त भूमि को विक्रय कर उपपंजीयक सूरौठ के यहाँ रजिस्टर्ड करा देंगें। क्योंकि खातेदारी मेरे नाम है। इस प्रकार अगर गैरसायल नं0 1 व 2 अपने नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को काफी क्षति होगी और उसको अपने पैतृक हिस्से से वंचित होना पड़ेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य से होना संभव नहीं है इसलिये सायल द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान के यहाँ पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलू के कब्जाकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 2188 रकवा 41 ऐयर, 2298/1787 रकवा 06 ऐयर, 2304/1191 रकवा 09 ऐयर, 1767 रकवा 0.06 है० बांके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरोठ में सायल के हिस्से में मजामहत, मदाखलत उत्पन्न नहीं करे उसे शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके से सायल को अपने पैतृक हिस्से से बेदखल नही करे और नाही पैतृक भूमि का बेचान करें। ऐसा कोई कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायल के हक हकूको पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडे, तथा उक्त आराजी का जब तक विधिवत बटवारा नहीं हो तब तक स्पेसिक पीस ऑफ लैण्ड को रहन व्यय नहीं करें, ना ही कोइ पक्का निर्माण करे, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 13.02.2025 से गैरसायलानों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 454, 30 व 30, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल विभाजन नामांतकरण, नकल जमाबन्दी संवत पूर्व, फोटो कॉपी आधार कार्ड पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायल के कब्जाकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 2188 रकवा 41 ऐयर, 2298/1787 रकवा 06 ऐयर, 2304/1191 रकवा 09 ऐयर, 1767 रकवा 0.06 है० बांके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरोठ में सायल के हिस्से में मजामहत, मदाखलत उत्पन्न नहीं करे उसे शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके से सायल को अपनें पैतृक हिस्से से बेदखल नही करे और नाही पैतृक भूमि का बेचान करें। ऐसा कोई कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायल के हक हकूको पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पडे, तथा उक्त आराजी का जब तक विधिवत बटवारा नहीं हो तब तक स्पेसिक पीस ऑफ लैण्ड को रहन व्यय नहीं करें, ना ही कोइ पक्का निर्माण करे, रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में संवत 2071–74 खाता संख्या 454, 304, 302 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ गैरसायलान न0 1 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त आराजीयात पृतैक भूमि है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो के जन्म से ही अधिकार होता है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सह–कृषक होते है। जिसमें सभी वारिसान संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के [illegible] कार हैं प्रकरण में मुल दावा तकास्मा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] प्रकार पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:30 IST
Reason: SelfAttested

है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 03.07.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 2188, 2298/1787, 2304/1191, 1767 वाके ग्राम हक्मीखेडा तहसील सूरौठ में मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 2-5-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:30 IST
Reason: SelfAttested